राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मूल्या बनाम हनुमान सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/03/2026 को पेश हो।	
19/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.2700 है. खातेदारी की भूमि स्थित है, जो खातेदारान पूरणमल, भौरी, हुकुमचन्द की खातेदारी भूमि थी, जिसे दिनांक 11.07.2024 को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड कार्य कर कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया है और विधिक रूप से प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार हो गया है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.2600 है. ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी में स्थित है, जो कि मुख्य सडक डामर रोड खसरा नम्बर 15 एवं 20 से लगती है। खसरा नम्बर 15 एवं 20 डामर रोड से खसरा नम्बर 13 के उत्तर और पश्चिम की सींव से लगता 30 फुट का रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 10 में आने-जाने हेतु उपलब्ध है, जिसे संलग्न नजरी नक्शें मौके में लाल रंग से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 13 में जो लाल रंग से दर्शित रास्ते की भूमि है, उसके उत्तर में खसरा नम्बर 14 गैर खातेदारी की है और खसरा नम्बर 10 और 13 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 9 गैर मुमकिन नाले की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 13 में जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान रास्ते की भूमि के रूप में खसरा नम्बर 10 के पूर्व खातेदारों के उपयोग में आ रहा था। वही रास्ता खसरा नम्बर 10 में आने-जाने हेतु काम आ रहा है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 10 में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.2700 है. में आने जाने हेतु 30 फीट चौडाई का रास्ता खसरा नम्बर 13 की उत्तरी पश्चिमी सीमा से जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें मौके मे लाल रंग से दर्शाया गया है, प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुये उक्त रास्ता कायम कर उक्त भूमि को खसरा नम्बर 13 से पृथक किया जाकर रास्ते की भूमि दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया | अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**मूल्या बनाम हनुमान सहाय** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कार्यवाही अमल में लायी गयी | तहसीलदार आंधी द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/10/2024 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर अन्य वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी की आपत्ति का विश्लेषण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर आपत्तियो को ख़ारिज कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के सलग्न पटवारी की बिन्दुवार रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट को ही हुबहू टंकित करवा कर उसी अनुसार मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी एवं अधिनस्त न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का समुचित अध्ययन/अवलोकन किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटी किया जाना प्रकट होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/10/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार को मौके की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |